

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**  
जी-3/1अम्बेडकर भवन राजमहल पेलैस के पास जयपुर

क्रमांक एक ( )/एससीएसपी/प्रोगाँ0 सग-21/सान्याअवि /2021/ 6934 जयपुर दिनांक

1/10/2021

**कार्यालय आदेश**

“प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान 2021” दिनांक 02 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया जा रहा है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग व सुचारु संचालन हेतु निम्न अधिकारियों को अभियान के प्रारंभ होने के दिन 02 अक्टूबर 2021 से अभियान के दौरान कम से कम दो बार आवंटित जिले का दौरा करेंगे एवं जिला मुख्यालय पर उपस्थित रहकर अभियान की प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।

क्र.सं.	नाम	पद	आवंटित जिला
1	श्री उम्मेद सिंह	अति. निदेशक (प्रशासन)	जयपुर
2	श्री रतन लाल अटल	अति.निदे. (छात्र एवं छात्रा.)	सीकर
3	श्री सुरेश गुप्ता	अति निदे. पेंशन/वि सलाहकार (अ.चार्ज)	बीकानेर
4	श्री डालचन्द वर्मा	अति. निदेशक (Plan/Rreis)	भरतपुर
5	श्रीमति कुतल विश्वा	उप निदे. (प्र0)	टोंक
6	श्री सुवालाल पहाडिया	अति.निदे. (सा.सु)	बाड़मेर
7	श्री दिलबाग सिंह	उपनिदे. (पन्ना./पेंशन)	बांरा
8	श्री सुरेन्द्र सिंह गजराज	उप निदे. (पि.जा.)	झुंझुनू
9	श्री मनोज शर्मा	उपनिदे. म.क	डुंगरपुर
10	श्री विष्णुचंद शर्मा	उप निदेशक (मॉनीटरिंग)	चित्तोडगढ़
11	श्री महेश चन्द्र मीणा	उप निदेशक, योजना	भीलवाड़ा
12	श्री सोहनलाल धानका	महाप्रबन्धक, अनुजा निगम	बांसवाड़ा
13	श्री हनुमान मीणा	SR. AO	जैसलमेर
14	श्री शीशराम चावला	संयुक्त निदेशक, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	पाली
15	श्रीमती वन्दना गुर्जर	AO SJE	जालौर
16	श्री वीरबल मीणा	संयुक्त निदेशक देवनारायण	सिरोही
17	श्री राजेन्द्र शर्मा	सहा निदे. (छात्रावास)	करौली
18	श्री बी पी चंदेल	उप. निदे. (नशा व नवजीवन )	श्रीगंगानगर
19	श्री रमेश दहमीवाल	सहा निदे. परीक्षा	सवाईमाधोपुर
20	श्री एम एल महावर	सहा. निदेशक (राईस)	राजसमंद
21	श्री मनोज आर्य	सहायक सहायक निदेशक (शिक्षा)	हनुमानगढ़
22	श्रीमती निशा मीणा	अति.निदेशक, विशेष योग्यजन	बूंदी
23	श्रीमती सावित्री शर्मा	उपायुक्त, विशेष योग्यजन	नागौर
24	श्री अनिल मध्या	सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता	कोटा
25	श्रीमती कविता थपलियाल	उप निदेशक, वि योग्यजन	दौसा
26	श्री सदीप कुमार	उप.निदेशक, वि योग्यजन	जोधपुर
27	श्रीमती रीना शर्मा	अतिरिक्त निदेशक, बा.क.	अजमेर
28	श्री चन्द्रशेखर	उप निदेशक, बाल अधिकारिता	चूरु
29	श्री शम्भूराम	उप निदेशक, बाल अधिकारिता	झालावाड़

जिन अधिकारियों को विभागीय वाहन आवंटित है वे आवंटित वाहन से भ्रमण करेंगे एवं अन्य अधिकारी निरीक्षण के दौरान संबंधित जिला कार्यालय के वाहन का उपयोग कर करेंगे।

संलग्न- प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र।

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ ( ) / एससीएसपी / प्रोगौ० सग-21 / सान्याअवि / 2021 / 6935-7035 जयपुर दिनांक 11/10/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी मुख्यावास.....।
7. उपनिदेशक / सहायक निदेशक सा.न्या.अ.वि / बाल अधि / वि. योग्यजन.....।
8. संयुक्त निदेशक (आई टी) मुख्यावास (विभागीय वेबसाइट) एवं संबंधित कार्यालय को ई-मेल हेतु।
9. लेखाकार भुगतान (मुख्यावास)।
10. कार्यालय अधीक्षक, स्थापना / सामान्य।
11. संबंधित अधिकारी श्री/अति.....।
12. आदेश पत्रावली।

अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

“प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021” प्रगति प्रतिवेदन प्रारूप

क्र.सं.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का प्रचार-प्रसार एवं ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करवाना।					
	1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना					
	2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना					
	3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (अंधता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्तिह्रास, चलन निशक्तता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता एवं बीनापन)					
	4. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना					
	5. मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला)					
	6. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (अंधता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्तिह्रास, चलन निशक्तता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता एवं बीनापन)					
	7. राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना					
2	पेंशनर के बैंक खातों त्रुटि होने पर उनके संशोधन करवाने एवं मनीऑर्डर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के नवीन बैंक खाता खुलवाने हेतु सूची समस्त जिला कलक्टर एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करा दी गई तदनुसार खाता खुलवाने की कार्यवाही की जानी है।					
3	पेंशनर्स के गलत/अपूर्ण पते पेंशनर की मृत्यु होने अथवा निवास स्थान से पलायन करने के कारणों से रिटर्न हो रही पेंशन का समाधान करना।					
4	छात्रवृत्ति में दिए हुए बैंक खाते जो अन-ऑपरेटिव हैं उन्हें ऑपरेटिव कराने या परिवर्तित करना।					
5	पालनहार योजना का प्रचार-प्रसार एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूल का वेरिफिकेशन एवं आईसीडीएस के माध्यम से आगनबाडी में नामांकित होने का वेरिफिकेशन कराना। पालनहार योजनान्तर्गत उन महिलाओं के पात्र बच्चों का आवेदन करवाना जो विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं।					

6 मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की जानकारी देना एवं छूटे हुए प्रकरणों के प्रस्ताव तैयार करना।

7 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रचार-प्रसार एवं पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कराना।

8 विशेष योग्यजन विभाग से संबंधित सुखद दाम्पत्य योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का प्रचार-प्रसार एवं ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कराना।

9 मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का प्रचार-प्रसार एवं ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कराना।

10 जिन व्यक्तियों ने निशक्तजन प्रमाण पत्र एवं सिलिकोसिस योजना अन्तर्गत प्रमाण पत्र का आवेदन कर रखा है, उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर उनकी जांच करवाना और उन्हें प्रमाण पत्र जारी कराना। सिलिकोसिस के वे प्रकरण जिन का मुगतान जिला कलक्टर के स्तर से होना है, ऐसे समस्त प्रकरणों का मुगतान सुनिश्चित करवाना।

11 राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग निगम द्वारा इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत प्रचार-प्रसार एवं आवेदन करवाना एवं क्रेडिट कार्ड जारी करवाना।

12 अन्य योजना